न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 81/2021

अनवान : –

1. देवकरण पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मनीराम पुत्र लाधुराम जाति स्वामी निवासी नगराणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. पूर्णराम पुत्र लाधुराम जाति स्वामी निवासी नगराणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनफूलराम जाति स्वामी निवासी नगराणा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. दयाराम पुत्र जैसदास जाति स्वामी निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. कुंभाराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. चानणराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. गजेन्द्र कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
8. रामनारायण पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी खुंईया तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 27/3/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल के दादा श्यामाराम पुत्र नेतराम कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर की साबिका खसरा न0 12 मिन की 100 बीघा खातेदार व कब्जा काश्त की भूमि थी तथा उक्त भूमि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हुआ उस समय पुराना खसरा न0 12 मिन की 100 बीघा भूमि वादी के दादा श्यामाराम के कब्जा काश्त होने की वजह से खातेदार काश्तकार हुए। उक्त भूमि श्यामाराम व उसके पुत्रगण के नाम सम्वत 2012 से लेकर सम्वत 2032 तक लगातार कब्जा काश्त में थी। उक्त वाद भूमि हिन्दु संयुक्त हिन्दु परिवार की संपति थी जिसका आपसी सहमति से बंटवार करं लिया गया तथा उक्त बंटवारे में श्यामाराम ने साबिका खसरा न0 12 मिन की 10[illegible] लिया भूमि अपने पुत्रों [illegible]लुराम व हेतराम को तथा मिन 1, 2, 3 से बने हाल खसरा न0 869/10 की 2.14[illegible]है0 [illegible]/10 की 2.1440है0, 871/5 की 1.4925 व 872/5 की 1.4925है0 भू[illegible] को सौंप दी तथा जैसाराम व रामचन्द्र का दुसरे खेतों में भूमि दे दी। उक्त खसरा न0 1[illegible] मिन से बने खसरा [illegible]/1 की 43.8 बिघा व खसरा न0 17 मिन की 9 बिघा कुल 52 बिघा 8 बिस्वा भूमि सायल के ताऊ बालुराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

को दी जो अभी बतौर खातेदार काश्तकार है। सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण के के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में बंटवारा के हिसाब से भूमि दर्ज नही है। खसरा न0 19/2 (मूल 12 मिन) में सिर्फ 37 बीघा भूमि दर्ज व खसरा न0 12 मिन से बने अन्य खसरों में भी सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण 11 ता 12 के नाम भूमि दर्ज नही है इसलिए वादी एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी स0 11 ता 12 हाल खसरा न0 18 व 882/12(मूल 18/3) की 4 बीघा 14 बिस्वा अथवा 1.0471 है0 अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

खसरा न0 12 मिन में पहले धोकलदास पुत्र रामजीदास बाद में जैसदास पुत्र धोकलदास जाति स्वामी साकिन खुंईया तहसील नोहर की भूमि सम्वत 2012 से 2032 तक 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज है व ढाल बाछ 2025 में जैसदास पुत्र धोकलदास बकाश्त राजुराम पुत्र श्यामाराम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2025–28 एवं खसरा गिरदावरी 2029 में भी जैसदास पुत्र धोकलदास के नाम 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि ही दर्ज है। खसरा न0 12 मिन में जैसदास केवल 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि का ही हकदार था लेकिन जैसदास ने पैमाईश अधिकारियों से मिलीभगती करके सायल के दादा श्यामलदास की खातेदार भूमि में से नया खसरा न0 18 की 21 बिघा 10 बिस्वा भूमि नक्शा बनवाकर अपने नाम दर्ज करवा ली जो कि सायल व दावा मे दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण 11 ता 12 की भूमि है तथा सदैव उन्ही के कब्जा काश्त में है।

जैसदास की मृत्यु के उपरान्त दयाराम पुत्र जैसदास ने उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल स0 1323 दिनांक 03.04.2013 को दर्ज करवा लिया तथा प्रतिवादी स0 6 के कब्जा नही होने के बावजूद भी उक्त भूमि को जरिये बैयनामा प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बेचान कर दिया। उक्त वाद भूमि इंतकाल स0 1345 दिनांक 05.01.2016 को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई। रोही मौजा खसरा न0 18 नक्शा मुताबिक मौजूद नही है तथा उक्त खसरा सैटलमेंट विभाग के साथ मिलीभगती कर श्यामाराम की खातेदार भूमि हड़पने के उद्येश्य से बनाया गया खसरा है तथा जैसदास की भूमि खसरा न0 12 मिन में 4 बिघा 10 बिस्वा ही थी जो कि वारिस प्रतिवादी स0 4 के नाम से मौजूद व कब्जा काश्त में है।

खसरा न0 18 का भाग जो राजुराम के वारिसों प्रतिवादी स0 5 ता 8 के कब्जे में था जिसका बैयनामा सन 2021 में करवाया जरिये इन्तकाल स0 1996 दिनांक 12.03.2019 को बेचान करवाकर खाता तकसीम करवा लिया खसरा न0 18/3 को गत दिनों में 882/17 व 882/18 में विभक्त कर दिया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि के मूल अस्तित्व को तोड़ मरोड़ कर सायल एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिघादी स0 11 ता 12 की 10 बिघा 12 बिस्वा भूमि की फरोख्त के फिराक में है। प्रतिवादी स0 1 ता 3, सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी 11 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि खसरा न0 18 की 5 बिघा 18 बिस्वा, 882/18 की 4 बिघा 14 बिस्वा भूमि को बगैर कब्जा बेचान करने की फिराक में है। उक्त वाद भूमि को सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 11 ता 12 ही काश्त करते आ रहे है तथा लगातार कब्जा काश्त में है।

वादग्रस्त भूमि खाता स0 228/228 खसरा 18 की 1.5000है0 भूमि व खसरा न0 882/18 मूल खसरा 18/3 की कुल 1.0471है0 भूमि वाके रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी स0 11 ता 12 तीनों मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम गलत दर्ज है जो की सायल की है तथा सायल अपने नाम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

अतः गैरसायलान के खिलाफ ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि रोही मौजा खुंईया खाता स0 228/228 के खसरा न0 18 की 1.5000है0 व खसरा न0 18/3 (हाल खसरा न0 882/17 व 882/18) की 2.62है0 भूमि में से 1.0471है0 भूमि को रहन बैय व मुन्तकील न करें तथा मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा खुंईया के खाता स0 228/228 के खसरा न0 18 की 1.5000है0 व खसरा न0 18/3 (हाल खसरा न0 882/17 व 882/18) की 2.62 है भूमि में से 1.0471है0 कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी स0 1 ता 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया की रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 12 मीन, साबिका खसरा न0 206 मीन, साबिका खसरा न0 208 मीन, साबिका खसरा न0 12 मीन की कुल 78 बिघा 19 बिस्वा भूमि के जैसदास पुत्र धोकलदास खातेदार काश्तकार थे। उक्त वाद भूमि हमारे कब्जा काश्त की भूमि है। वादग्रस्त भूमि जैसदास पुत्र धोकलदास की नतौड़ कब्जा काश्त की भूमि थी तथा रोही मौजा खुईयां के साबिका ख0न0 12 मीन काफी बड़ा खसरा नम्बर था। अब नये खसरा न0 18 पर उतरदाता स0 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा कब्जा व काश्त में है तथा खरीद शुदा कृषि भूमि हैं। सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण 11 ता 12 के कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है। उक्त भूमि के सम्वत 2014–2017 खसरा गिरदावरी, सम्वत 2012 से 2032 तक साबिका खसरा मीन 12 की कुल 25 बिघा भूमि का जैसदास पुत्र धोकलदास खातेदार काश्तकार था। साबिका खसरा न0 12 मीन की 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि साबिका ख0न0 12 मीन की 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि जैसदास पुत्र धोकलदास के नाम दर्ज है, साबिका ख0न0 12 मीन की कुल 25 बीघा भूमि का जैसदास पुत्र धोकलदास खातेदार काश्तकार था तथा पैमाईश अधिकारियों द्वारा साबिका ख0न0 12 मीन की 25 बीघा भूमि हाल नया खसरा न0 18 की 21 बिघा 10 बिस्वा भूमि का नक्शा बनाकर सही दर्ज की है। जैसदास 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार न होकर 25 बिघा भूमि का खातेदार काश्तकार था, पैमाईश विभाग द्वारा भूमि सही दर्ज की गई है। गैरसायल स0 4 के पिता जैसदास की मृत्यु के उपरान्त दयाराम पुत्र जैसदास ने उक्त भूमि का विरासलन नामान्तरण स0 1323 दिनांक 03.04.2013 को सही तौर से दर्ज करवा लिया। उत्तरदाता स0 1 ता 3 ने जैसदास के वारिसान से प्रतिफल देकर उक्त भूमि खरीद कर ली। बैयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरण स0 1345 दिनांक 05.01.2016 उतरदातागण स0 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। मौके पर वाद भूमि पर कब्जा उतरदाता प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने प्राप्त कर लिया है। खसरा न0 18 के भाग पर राजूराम के वारिसान गैरसायलान स0 5 ता 8 के कब्जे में था जिसका बैयनामा सन 2021 में करवाया जाकर नामान्तरण स0 1996 दिनांक 12.02.2019 बेचान होकर खाता तकसीम करवाया गया एवं ख0न0 18/3 को ख0न0 882/17 एवं 882/18 में [illegible] से विभक्त किया गया है। सायल एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 11 ता 12 का कोई हक [illegible] भूमि में नही है तथा वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता स0 1 ता 3 के कब्जा काश्त की [illegible] है, जो की पूर्व में गैरसायल स0 4 के पिता के कब्जा काश्त में रही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 2020 पेज न0 8 ता 16, आर0बी0जे0 2020 पेज न0 541 ता 545, आर0बी0जे0 2020 पेज न0 62 ता 66 की पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया।

गहन अध्ययन करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है कि विवादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त प्रस्तुत नवीनतम जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व पुरानी जमाबंदीयों से व नामान्तरण स0 1345 दिनांक 05.01.2016 रोही मौजा खुईयां व रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.12.2015 से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि दिनांक 23.12.2015 को विकेता खातेदार दयाराम पुत्र जैसाराम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिफल देकर खरीदी थी। इससे पूर्व उक्त भूमि का जैसदास खातेदार था। बैयनामें के उपरान्त उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम जरिये नामान्तरण स0 1345 रोही मौजा खुईयां में विधिवत दर्ज हुई थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में केता व विकेता ने कब्जे का आदान प्रदान करने का भी उल्लेख कर केतागण (अप्रार्थीगण) ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करना भी साबित किया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा जारी होती है तो अपूर्णीय क्षति भी रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए अप्रार्थीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचनस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested